भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3659

दिनांक 21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

भारतीय मसाला ब्रांडों की गुणवत्ता

†3659. श्री सुधाकर सिंहः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अधिकांश भारतीय मसाला ब्रांड और अन्य खाद्य उत्पाद आवश्यक सुरक्षा मानकों को पूरा करने में विफल रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गुणवत्ता जांच में विफल रहने वाली कंपनियों का कंपनीवार और उत्पादवार आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन विशिष्ट सुरक्षा मानकों का ब्यौरा क्या है जिन पर मसालों सहित अन्य खाद्य उत्पाद विनियामक मानदण्ड पूरा करने में विफल रहे हैं और कौन से संदूषक तथा अवशेष अनुमेय सीमा से अधिक पाए गए हैं;

(ग) क्या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने कुछ कीटनाशकों के लिए अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल) बढ़ा दी है और यदि हां, तो इन परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है और उनके पीछे क्या तर्क है; और

(घ) क्या सरकार की विशेष रूप से हाल ही में खाद्य गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विनियमों को और अधिक कठोर बनाने की कोई योजना है और यदि हां, तो उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ाने के लिए कौन-कौन से विशिष्ट उपायों पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) देश भर में उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, एफएसएसएआई राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों और अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 और उसके तहत विनिर्मित विनियमों के अधीन निर्धारित गुणवत्ता और सुरक्षा मापदंडों और अन्य आवश्यकताओं के अनुपालन की जांच करने के लिए मसालों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी, निरीक्षण और यादृच्छिक नमूनाकरण करता है।

जिन मामलों में खाद्य नमूने अननुरुप पाए जाते हैं, उनमें खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, नियमों और

विनियमों के प्रावधानों के अनुसार दोषी खाद्य व्यवसाय संचालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। विगत 2 वर्षों में विश्लेषण किए गए मसाला नमूनों में पाए गए असुरक्षित और घटिया नमूनों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	विश्लेषण किए गए नमूने	असुरक्षित पाए गए	घटिया पाए गए
2022-23	11979	534	743
2023-24	11919	707	816

(ग) और (घ): एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियमन, 2011 के तहत मसालों सहित खाद्य वस्तुओं में कीटनाशकों की अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल) निर्धारित की है। खाद्य वस्तुओं के लिए एमआरएल का निर्धारण गतिशील प्रक्रिया है। सितंबर, 2024 में, एफएसएसएआई ने खाद्य वस्तुओं के लिए कीटनाशकों के एमआरएल के लिए एक व्यापक (संशोधित और नव समावेश) मसौदा अधिसूचना जारी की है।

एफएसएसएआई खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत गठित वैज्ञानिक पैनलों और वैज्ञानिक समिति द्वारा प्रदान किए गए जोखिम मूल्यांकन और वैज्ञानिक सलाह के आधार पर खाद्य वस्तुओं के देश-विशिष्ट मानकों को तैयार करता है। ये मानक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत कोडेक्स मानकों के अनुरूप हैं।

एफएसएसएआई ने जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली (आरबीआईएस) भी बनाई है, जिसमें 9 उच्च जोखिम वाले खाद्य श्रेणियों (आरबीआईएस के तहत निर्दिष्ट) में काम करने वाले खाद्य व्यवसायों को अनिवार्य रूप से वार्षिक निरीक्षण से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा, प्रवर्तन कार्यकलापों को प्राथमिकता देने के लिए प्रत्येक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए प्रत्येक महीने 25 नमूनों का न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

*****